



Neutral Citation No. - 2026:AHC:168865

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7780

सन् 2026

रोहित और एक अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : आंचल अग्रवाल, राजेश यादव, रुचि मिश्रा

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री रुचि मिश्रा और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री आर.के. श्रीवास्तव को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यह प्रार्थना पत्र आवेदकगण की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 114 सन् 2025 के अन्तर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 117(2), 352, 351(3), 109(1), 76 बीएनएस, थाना- जानी, जनपद- मेरठ में, अपनी गिरफ्तारी की आशंका में अग्रिम जमानत प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. सबसे पहले, आवेदकगण की विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि वह आवेदक संख्या 1, रोहित की अग्रिम जमानत की मांग नहीं कर रही हैं, क्योंकि उसे नियमित जमानत मिल चुकी है। इसलिए, आवेदक संख्या 1 की अग्रिम जमानत अर्जी को **बल न देने के कारण खारिज** किया जा सकता है, और वह आवेदक संख्या 2 - योगेंद्र कुमार उर्फ बबलू के जमानत प्रार्थना पत्र पर जोर दे रही हैं।

4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घायल विनोद, सनेज और पायल की पिटाई के लिए 11 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, विनोद की रीढ़ की हड्डी में केवल एक चोट आई है, जबकि विनोद और सनेज को लगी अन्य चोटें मामूली हैं। आगे यह भी कहा गया है कि चश्मदीद गवाह पायल, जो खुद भी घायल हुई थी, ने अपने बयान में सह-अभियुक्त पवन, अमित और रोहित की मौजूदगी के बारे में बताया है, जिन्हें अवर न्यायालय ने पहले ही नियमित जमानत पर रिहा कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि सामान्य और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर 11 लोगों को नामजद किया गया है और चश्मदीद गवाह पायल के बयान से घटनास्थल पर आवेदकगण की मौजूदगी साबित नहीं होती है, इसलिए आवेदकगण को झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक को भी जांच पूरी होने तक आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या 4797 सन् 2025 के तहत अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया था। इसलिए, समानता के आधार पर आवेदक भी अग्रिम जमानत पर रिहा होने का हकदार है। अब आरोप-पत्र दाखिल कर दी गई है। कोई अलग से सबूत इकट्ठा नहीं किया गया है और आवेदकगण ने जांच के दौरान सहयोग किया है। अंत में यह कहा गया है कि सह-अभियुक्त प्रशांत कुमार और रजत को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या 6421 सन् 2026 में दिनांक 16.07.2026 के आदेश के तहत पहले ही अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया है। इसलिए, समान स्थिति में होने के कारण आवेदक भी अग्रिम जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं। अगर आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे विचारण में सहयोग करेंगे।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है।



6. इस प्रकार, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना और आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और आवेदकगण के पूर्ववृत्त को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस नतीजे पर पहुँचा है कि आवेदकगण 'सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ़ दिल्ली) - 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 98' प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के अनुसार अग्रिम ज़मानत पाने के हकदार हैं।

7. आवेदक संख्या 2 - **योगेंद्र कुमार उर्फ बबलू** को, जो उक्त अपराध में शामिल है, को विचारण के दौरान अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो ज़मानतदार पेश करने होंगे, साथ ही निम्नलिखित शर्तें भी माननी होंगी:-

(i) आवेदक संख्या 2 को ज़रूरत पड़ने पर पुलिस अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए हाज़िर होना होगा।

(ii) आवेदक संख्या 2 प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने उन तथ्यों को बताने से पीछे हट जाए।

(iii) आवेदक संख्या 2 न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएगा।

(iv) आवेदक संख्या 2 विचारण के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(v) ज़मानत पर रिहा होने के बाद आवेदक संख्या 2 किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।

(vi) यदि आवेदक संख्या 2 विचारण में सहयोग नहीं करता है, तो अवर न्यायालय के पास यह अधिकार होगा कि वह उसे विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए मजबूर करने वाली कानूनी प्रक्रिया शुरू करे।

8. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह अग्रिम ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।



9. ऊपर बताई गई बातों/निर्देशों के साथ, आवेदक संख्या 2 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

12 अगस्त, 2026

एस.सी.

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।